मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/12/2019

क्र. एफ 16-40/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत आर्थिक रूप से बाधित निवेश परियोजनाओं के लिये सहायता संबंधी प्रावधान के तहत मेसर्स सासन पावर लि., जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

(i) निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति द्वारा चर्चा में निष्कर्ष दृष्टिगत हुआ कि मेसर्स सासन पावर लिमिटेड के विद्युत उत्पादन से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष विद्युत सामान्य से आधे से भी कम दरों पर मिलने के कारण तथा प्रदेश की विद्युत का लगभग 15 प्रतिशत सासन से प्राप्त होने के कारण प्रत्येक वर्ष रूपये 2000-2500 करोड़ की बचत हुई है तथा विगत 5 वर्ष में रूपये 10,500 करोड़ की कुल बचत हुई है। इस क्रम में समिति द्वारा सर्वसम्मति से मेसर्स सासन पावर प्रोजेक्ट का क्रियाशील रहना प्रदेश के हित में है। उपरोक्तानुक्रम में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत आर्थिक रूप से बाधित निवेश परियोजनाओं के लिये सहायता संबंधी प्रावधान के तहत मेसर्स सासन पावर लि., जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचारोपरान्त उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका 13 अनुसार आदेश दिनांक तक देय government dues (royalties and government duties) except taxes यथा royalty,electricity duty, energy development cess, forest transit fee and water charges को कण्डिका 13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन चार वर्ष के लिए आस्थगित (deferment) करने का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया । उपरोक्तानुसार आवलम्बित (deferment) किए गए government dues (royalties and government duties) पर लम्बित ब्याज की राशि को माफ किया जावे। चार वर्ष की उक्त अवधि समाप्ति पर मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, सिंगरौली यदि आर्थिक रूप से बाधित बनी रहती है तो यह deferment चार वर्ष के लिए पुन: बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कंपनी के अग्रणी बैंक/वित्त संस्थाओं से चर्चा (Negotiation) कर ली जावे। यदि चर्चा उपरांत कोई अन्य साध्य प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

(iii) नियामक संशोधन/परिवर्तनों के दृष्टिगत अग्रणी बैंक, परियोजना प्रवर्तक, एमपी पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी तथा एमपीआईडीसी के मध्य चर्तुपक्षीय अनुबंध (Quadripartite Agreement) को विधि विभाग से परिमार्जित कराया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

31/12

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ.क्र. एफ 16-40/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, खनिज साधन विभाग, जल संसाधन विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, वन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
4. कलेक्टर, जिला सिंगरौली।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स शासन पॉवर लि., रिलायंस सेन्टर, नीयर प्रभात कॉलोनी, ऑफ वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सन्ताक्रुज (ईस्ट) मुम्बई - 400055।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/12

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग